विधानसभा प्रश्न

विभाग का नाम	:	नगर एवं ग्राम योजना
अतारांकित प्रश्न संख्या	:	1236
उत्तर देने की तिथि	:	17.09.2020
विषय	:	नगर एवं ग्राम योजना
प्रश्नकर्ता का नाम	:	श्री अनिरूद्ध सिंह (कसुम्पटी)
सम्बन्धित मन्त्री	:	शहरी विकास मन्त्री

प्रश्न	उत्तर
प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के कितने गांव नगर एवं ग्राम योजना के अन्तर्गत लिए गए हैं; क्या सरकार इन क्षेत्रों को नगर एवं ग्राम योजना से बाहर करने का विचार रखती है; यदि हां, तो कब तक; यदि नहीं, तो कारण?	सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।

अतारांकित विधानसभा प्रश्न संख्याः 1236 जो कि मा0 विधायक श्री अनिरूद्ध सिंह (कसुम्पटी) द्वारा नगर एवं ग्राम योजना बारे पूछा गया है, से सम्बन्धित सूचना।

वर्तमान में प्रदेश में नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 के अन्तर्गत 55 योजना क्षेत्र एवं 35 विशेष क्षेत्र अधिसूचित किये गये हैं। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों के 1563 राजस्व मोहाल पूर्णतः तथा 174 मोहाल भागतः शामिल हैं।

विभिन्न योजना एवं विशेष क्षेत्रों से गांवों को बाहर करने के लिए आम जनता से प्राप्त आवेदनों पर विचार करने हेतु सरकार द्वारा दिनांक 17.07.2019 को माननीय सिचांई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में एक कैबिनेट उप–समिति गठित की गई है। उक्त समिति हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 के अन्तर्गत गठित योजना/विशेष क्षेत्रों में से कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 के दायरे से बाहर करने के प्रस्तावों पर विचार कर रही है।